

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:- श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या :- 58/2025 (140/2023)

प्रार्थी :-

बनाम

अप्रार्थीगण :-

गणपतलाल वगैरा

राधादेवी वगेरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 92ए, 88, 188 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 131, 136

एल0आर0 एक्ट 1956

प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 1908

उपस्थिति :-

1. श्री सुरेन्द्र वैष्णव अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. श्री कल्याणनाथ अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं0 01 से 10 उपस्थित।
2. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 11 से 14 उपस्थित।

-: निर्णय :-

दिनांक :- 03/12/2025

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त अनवान प्रकरण का वाद अंतर्गत धारा 92 (ए), 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 एवं 131 भू राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि ग्राम गुडाकलां के साबिका खसरा संख्या 520 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के पूर्वज किस्तूरचंद पुत्र तिलोकराम जाति भाट निवासी गुडाकलां के 1/2 हक हिस्से की थी जो जमाबंदी सम्वत् 2033 से 2034 में दर्ज सुदा है। दौराने द्वितीय सेटलमेन्ट साबिका खसरा संख्या 520 से नये खसरा संख्या 687 रकबा 0.5300 हैक्टर व खसरा संख्या 688 रकबा 2.0000 हैक्टर बनाये गये जिसमें खसरा संख्या 688 की भूमि में किस्तूरचंद का भी हक हिस्सा होने के बावजूद भी सम्पूर्ण खसरे की भूमि को बीजा पुत्र भगा के नाम विधि विरुद्ध रूप से दर्ज कर दी और उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसान ने फौतेदगी नामान्तरण दर्ज करवाकर विधि विरुद्ध रूप से खसरा संख्या 687 व 688 की भूमि को अप्रार्थी संख्या 11 से 14 को बिना कब्जा हस्तान्तरण किये बेचान रजिस्ट्री कर पंजीयन करवा दिया जबकि वादग्रस्त आराजीयात के 1/2 हिस्से पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 10 का उनके पूर्वज किस्तूरचंद के समय से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी पेश किया था जिसमें दिनांक 11/10/2023 को एकपक्षीय स्थगन आदेश भी पारित किया गया है। उक्त प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था जिसकी तारीख पेशी दिनांक 19/02/2025 नियत थी। उक्त पेशी की जानकारी वादी प्रार्थीगण को उनके अधिवक्ता ने नहीं दी थी इसलिये वो न्यायालय में हाजिर नहीं हुये थे और अधिवक्ता बीमार होने से न्यायालय में हाजिर नहीं हो सके थे इसलिये वादीगण का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज कर दिया। जिसका ऑर्डरशीट की नकल के लिये दिनांक 25/02/2025 को आवेदन किया जो ऑर्डरशीट की नकल दि.03/03/2025 को मिलने पर सर्वप्रथम जानकारी मे आया कि वादीगण का वाद अदम पैरवी मे खारिज कर दिया गया है। अधिवक्ता की गलती का खामियाजा पक्षकार को नही भुगताया जावे। तथा वादी का वाद पुनः उसी नम्बर पर उसी स्टेज पर रेस्टोर किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना पत्र पेशकर श्रीमान से निवेदन है कि वादीगण के उक्त वाद को पुनः उसी नम्बर उसी स्टेज पर रेस्टोर किये जाने का आदेश प्रदान फरमावे। अन्य अनुतोष जो न्यायोचित हो वो प्रदान फरमाये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 1 से 10 को पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रा0पत्र पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जवाब प्रा0पत्र बंद किया गया। अप्रार्थी सं0 11 से 14 ने जवाब प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया कि वकील प्रार्थी द्वारा पेरा सं0 01 में जो कथन वर्णित किये है कि उक्त भूमि ख0नं0 688 की भूमि किस्तूरचंद का हक हिस्सा होने के बावजूद भी सम्पूर्ण कृषि

उप खण्ड अधिकारी  
(पाली) राज

भूमि को बिंजा पुत्र भगाराम के नाम विधि विरुद्ध तरीके से दर्ज करने के कथन किये है, जबकि प्रार्थीगण ने ख0नं0 617 रकबा 0.2000 है की कृषि भूमि के खातेदार किस्तुरराम पुत्र कानाराम के स्थान पर अपना फौतेदगी नामा0 दर्ज करवाया तथा उक्त कृषि भूमि का हकतर्कनामा उमराव बाई, कमला बाई, धर्मा से प्रार्थीगण भंवरलाल, दुर्गाराम व गणपत लाल ने अपने पक्ष में दिनांक 13/03/2020 को पंजीबद्ध करवाया है। जिसमें प्रार्थीगण ने अपने पिता का नाम किस्तुरराम एवं दादा का नाम कानाराम होना बताया, लेकिन वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 687, 688 में खातेदार किस्तुरचन्द पुत्र तिलोकराम है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण किस्तुरचन्द पुत्र तिलोकराम के वारिसान नही होकर किस्तुरराम पुत्र कानाराम के वारिसान है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की कोई लोकस स्टन्डी भी नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण कतई वाद रेस्टोर करवाने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण ने पूर्व में वाद पेश के समय एक पक्षीय स्थगन आदेश तथ्यों को छुपाते हुए जारी करवाया है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 को जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अपने अधिवक्ता द्वारा तारीख पेशी की सूचना नही देने के कथन करते हुए अपने अधिवक्ता के बीमार होने के कथन किये है, लेकिन बीमारी से सम्बंधित कोई दस्तावेज पेश नही किये है। प्रार्थीगण को उक्त तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद भी जान बुझकर एक पक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त कर प्रकरण को लम्बा करने के आशय से समय पर जान बुझकर उपस्थित नही हुए प्रार्थीगण का आशय प्रकरण को लम्बा करने की नियति से लम्बे समय से उपस्थित नहीं रहे है। जिससे प्रार्थीगण का वाद खारिज किया गया है, जो कतई रेस्टोर करवाने के अधिकारी नही है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर प्रार्थीगण का प्रार्थना सव्यय खारिज फरमाया जाने की ईशतदुआ की हैं।

वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0पत्र मय शपथ पत्र, जवाब प्रा0पत्र तथा बहस वकुलाय पर गौर व मनन किया गया। वस्तुतः प्रकरण में पक्षकारों के हक अधिकारों का निर्धारण किया जाना शेष हैं। जिसे मूल वाद में दावा, जवाब दावा के आधार पर तनकियात कायम की जाकर बाद साक्ष्य गुणावगुण पर तय किया जायेंगा। प्रार्थी द्वारा अपने प्रा0पत्र में तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं होने से संबंधित वर्णित कारण को उचित मानते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर न्याय हित में प्रार्थी का उक्त प्रा0पत्र 500/- रुपये की कॉस्ट पर स्वीकार किया जाता हैं। मूल प्रकरण को पुनः उसी स्टेज पर नये नंबर पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पुनः रेस्टोर किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील जाब्ला मूल वाद के साथ नत्थी हो। पत्रावली मूल वाद के साथ आयंदा दिनांक 21/01/2026 को पेश हो।



(मासिंगा राम)  
 सहायक क्लर्क, सीजत  
 भोजपुर (बिहार-पंचो) संघ